न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06/2019

श्री धर्मेन्द्र चोबे वार्ड नं0 14 ब्रहम्म अखाड़ा टोडारायसिंह जिला –टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 10.04.2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को दिनांक 21–01–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना भिजवाने हेतु निवेदन किया।

1–टोडारायसिंह नगर पालिका परिधिय क्षेत्र में कुल कितनी आबादी भूमि है इसका विवरण दिया जावे।

2–नगर पालिका परिधि क्षेत्र में कुल कितनी सिवायचक गौचर भूमि है व नगर पालिका परिधि क्षेत्र में कहां–कहां पर स्थित है इसका विस्तृत विवरण दिया जावे। व उक्त गौचर सिवाय कब्जे में है तो किस आधार पर उनका कब्जा है व आज दिनांक तक क्यों नहीं हटाया है व कोन–कोन से व्यक्ति ने उक्त सिवायचक, गोचर भूमि पर कब्जा कर रखा है इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रार्थी को उपलब्ध कराया जावे व अवलोकन करने दिया जावे। व तत्पश्चात आवेदक को उसकी नकल की प्रमाणित प्रति दी जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह ने पत्र क्रमांक 1412 दिनांक 28–3–2019 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक को पत्र क्रमांक 559/भू0अ0 दिनांक 13–2–2019 से सूचना भिजवादी गई थी। जवाब के साथ प्रति पुनः प्रेषित की जा चुकी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner